FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0021 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 21/11/2024 15:05 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	418
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2017 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2018

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/11/2024 **Time (समय):** 14:43 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 21/11/2024 14:43 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 145 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गांव मोडी जिला सिरसा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक विजेन्द्र सिंह नम्बर 569 एच

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1974 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसारHISAR, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसारHISAR, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-7015234485

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	भानी राम		Father's Name: बृजलाल	1. 585,न्यु हाऊसिंह बोर्ड कालोनी,बरनाला रोड सिरसा,तत्कालीन उप,मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थय,अभियानत्रिकी विभाग डबवालीSIRSA,HARYANA,INDIA
2	सतपाल			1. कनिष्ठ अभियंता जन स्वास्थय,अभियांत्रिकी उप मण्डल नं 1,डबवाली सिरसा हाल तैनात उप मण्ड,ल अभियन्ता जन स्वास्थयSIRSA,HARYANA,INDIA
3	कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार			1. 115,03,ए डी सी कालोनी सिरसा,SIRSA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,
प्रबंधक अफसर,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
हिसार मण्डल हिसार।

श्रीमान् जी जांच क्रमांक 07 दिनांक 29.11.2019 सिरसा श्री आत्मप्रकाश पुत्र श्री लोकनाथ वासी गांव मोडी उपतहसील गौरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा की शिकायत के आधार पर भानीराम पुत्र श्री बृजलाल वासी मकान 585 न्यु हाउसिंग बोर्ड कालोनी बरनाला रोड सिरसा तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग डबवाली हाल सेवानिवृत, सतपाल कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उपमण्डल नम्बर 1 डबवाली सिरसा हाल तैनात उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उप मण्डल नम्बर 2 कैथल व श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार मकान 115 गली नम्बर 03 ए.डी.सी कालोनी सिरसा के विरूद्व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 25/32/2019-4 चौकसी-1चण्डीगढ दिनांक 22.11.2019 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो के पत्र क्र0 18790/1-3 एस0वी0बी0 (एच0) दिनांक 03.12.2019 से इस मण्डल में जांच हेतु प्राप्त हुई । जिसमें आरोप है कि जिला सिरसा में जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग मण्डी डबवाली के उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार सिरसा से मिलीभगत करके गांव मोडी में वर्ष 2017-2018 में बनाये गये वार्टर वर्कस के RCC टैंक का लैन्टर ईन्टों से बनाने, पुरानी मैन पाईप लाईन को रिपेयर करके नई पाईप लाईन के बिल बनाने व गांव मोडी की अन्य गलियों में पाईप लाईन न डालकर बिना डाले पाईप लाईन के फर्जी बिल बनाकर सरकारी राशि का गबन किया गया।

उपरोक्त आरोपों की जांच श्री राकेश कुमार उप पु0अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र फतेहाबाद द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग मण्डी डबवाली जिला सिरसा द्वारा गांव मोडी जिला सिरसा में वर्ष 2017 व 2018 के दौरान वाटर वर्कस व पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया है। वाटर वकर्स व पाईप लाईन बिछाने का कार्य अनुमानित राशि 119.35/- लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति सदस्य सचिव जल आपूर्ति एंव सीवरेज बोर्ड हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रंमाक 92818-29 दिनांक 23.10.2017 व डी.एन.आई.टी. कोस्ट 84.63/- लाख रूपये की अप्रूवल मुख्य अभियन्ता, (ग्रामीण) जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग पंचकुला के पत्र क्रमांक 70119/PHE/PLG दिनांक 01.08.2017 के अनुसार प्राप्त की गई। उपरोक्त वाटर वर्कस व पाईप लाईन का कार्य ई-निविदा के माध्यम से श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार को 89,85,630 /- रुपये में अलॉट किया गया। उपरोक्त कार्य श्री रामकिशन, कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी मण्डल न0 1 सिरसा की देखरेख में श्री भानीराम उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी व श्री सतपाल कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थय

अभियान्त्रिकी उपमण्डल नम्बर 1 डबवाली सिरसा द्वारा पुरा करवाया गया है।

जांच के दौरान उपरोक्त कार्य की दिनांक 25.06.2020 व 26.06.2020 को श्री विजेन्द्र सिंह उपमण्डल अभियंता, राज्य चोकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला से सैम्पलिग व असस्मेंन्ट करवाई जाकर मौका से छः सैम्पल प्राप्त करके परीक्षण हेतु एफ.एस.एल मधुबन भेजे गये व गांव की गलियों में बिछाई गई पाईप लाईन का मुल्याकंन किया गया है । एफ0एस0एल0 मधुबन से सैम्पलो का नतीजा प्राप्त होने पर श्री दीपक गोयल, अधीक्षक अभियन्ता व श्री विजेन्द्र कुमार उप मण्डल अभियन्ता राज्य चैकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला द्वारा उपरोक्त कार्य की तकनीकी रिपोर्ट दिनांक 11.11.2021 को तैयार की गई। तकनीकी रिपोर्ट अनुसार एस एंड एस टैंक की पैरापिट दीवार की नींव सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) के कार्य में माप अनुसार (2X181’X2’X4”)(2’X100’X2X4”)370.92cft. पाई गई है। जोकि मापक पुस्तिका अनुसार 562 cft.का भुगतान किया जाना पाया गया है। उपरोक्त कार्य में सीमेंट कंक्रीट की मात्रा 562-370.92191.08 सी.एफ.टी. की मात्रा कम प्रयोग करने के कारण 13,403 /- रुपये, गांव मोडी में बने वाटर वर्कस एस एंड एस टैंक के कोने में डबल लेयर ब्रिक लाइनिंग के नीचे साइड स्लोप पर सीसी कोने में डबल लेयर ब्रिक लाइनिंग साइड स्लोप में सीमेंट कंक्रीट (4x21’7”x2’6”x3”) 53.95 सी.एफ.टी. पाई गई और मापक पुस्तिका में 107.90 सी.एफ.टी. का इन्द्राज होना पाया गया है। जो सीमेंट कंक्रीट 107.90-53.9553.95 सी.एफ.टी. की मात्रा कम प्रयोग करने पर 6714/- रुपये, एस एस टैंक के कोने में डबल लेयर ब्रिक लाइनिंग में आर.सी.सी बीम की जांच से पाया गया कि (4x21’7”x1’x4”) 28.74 सी.एफ.टी. आर.सी.सी बीम पाई गई और मापक पुस्तिका में 86.32 सी.एफ.टी. आर.सी.सी बीम का इन्द्राज होना पाया गया है। जो आर.सी.सी बीम 86.32-28.74 57.58 सी.एफ.टी./1.63 क्यूम आर.सी.सी बीम कम पाये जाने पर 7153 रुपये , गांव मोडी की गलियों में 150 एम.एम डी आई पाइप लाइन 493.25 आर0एफ0टी मापक पुस्तिका अनुसार व 231 आर0एफ0टी मापक पुस्तिका से भिन्न स्थान पर कुल 724.25 आर0एफ0टी /220.80 आर.एम.टी पाईप लाईन डाली जानी पाई गई है। लेकिन मापक पुस्तिका में 224 आर.एम.टी का बिल अदा किया गया है। इस प्रकार 150 एम.एम डी.आई पाइप 224-220.80 3.20 मीटर कम पाई जाकर मिट्टी खुदाई का काम कम करने सहित (3840177-7531-10) कुल 4050 /- रुपये व गांव मोडी की गलियों में 100 एम.एम डीआई पाइप लाइन 1523 आर0एफ0टी मापक पुस्तिका अनुसार व 309 आर0एफ0टी मापक पुस्तिका से भिन्न स्थान पर कुल 1832 आर0एफ0टी0 /558.53 आर.एम.टी पाईप लाईन डाली जानी पाई गई है। लेकिन मापक पुस्तिका में 570 आर.एम.टी का बिल अदा किया गया है। इस प्रकार 100 एम.एम डी.आई पाइप 570 - 558.53 11.47 मीटर कम पाई जाकर मिट्टी खुदाई का काम कम करने सहित (847553872) कुल 9086 रुपये का गबन किया गया और मधुबन में भेजे गए सैम्पलों के नतीजो अनुसार सैम्पल नं0 1 में ईंटो की क्रैम्प्रेसिव सट्रैन्थ कम पाए जाने पर 15452 रूपये, सैम्पल नं0 2 में सिमेन्ट की मात्रा कम पाए जाने पर 2250 रूप्ये, सैम्पल नं0 3 में ईंटो की क्रैम्प्रेसिव सट्रैन्थ कम पाए जाने पर 17866 रूप्ये सैम्पल नं0 4 में सिमेन्ट की मात्रा कम पाए जाने पर 17550 रूप्ये व सैम्पल नं0 5 में ईंटो की क्रैम्प्रेसिव सट्रैन्थ कम पाए जाने पर 17866 रूप्ये का कम मैटिरियल व घटिया स्तर की ईंटों का प्रयोग करके गबन किया जाना पाया गया है।

जांच के दौरान पाया गया कि गांव मोडी तहसील डबवाली जिला सिरसा में नवनिर्मीत जलघर व गांव की गलियों में पाइप लाईन डलवाने का कार्य श्री रामकिशन कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी मण्डल न0 1 सिरसा की देखरेख में श्री भानीराम उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी व श्री सतपाल कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उपमण्डल नम्बर 1 डबवाली सिरसा द्वारा श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार सिरसा से करवाया है। जिसमें गांव मोडी में बिछायी गई डी.आई. पाइपों के कार्यो की माप पुस्तिका के अनुसार कार्य को ठेकेदार द्वारा दिनांक 30.09.2018 तक पूर्ण किया जाना पाया है । किन्तु वाप्कोस के सलाहकार द्वारा दिनांक 23.10.2018 को उक्त कार्य का अंतिम निरीक्षण किया जाना पाया है। जिसके अनुसार पाया गया कि गांव मोडी में डी.आई. राइजिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन का कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया गया था। जिससे यह सिद्व होता है कि गांव मोडी की गलियों में डी.आई. पाईप लाइन राइजिंग मेन व डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइनों के लिए मापक पुस्तिका में दी गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों तक पाईप लाईन नहीं डाली गई थी और शिकायत के होने के बाद ठेकेदार द्वारा सम्बधित कार्य किया जाना पाया गया है।

इस प्रकार श्री भानीराम उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग डबवाली हाल सेवानिवृत व श्री सतपाल कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उपमण्डल नम्बर 1 डबवाली सिरसा ने श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार म0 नं0 115 गली नं0 03 ए0डी0सी0 कालोनी सिरसा से मिलिभगत करके गांव मोडी में

रिकार्ड में दर्शाई गई वाटर सप्लाई पाईपलाईन से कम पाईपलाईन डालकर और करवाए गए निर्माण कार्यो में सिमेंन्ट की मात्रा कम प्रयोग करके व घटिया क्वालिटी की ईन्टों का प्रयोग करके 1,14,139 /- रूपये की सरकार के राजस्व को हानि पहुचाई है और वाप्कोस की रिपोर्ट अनुसार भूमिगत पाईपलाईन डालने से पहले पाईप लाईन के बिलो की अदायगी करके गबन किया है । पी0डब्लू0डी0 कोड 6.6.7 के अनुसार उपमण्डल अभियंता की भूमिगत कार्यो की 100 प्रतिशत व बी0एण्ड आर मैनुयल आफ आर्डर 5.6 अनुसार कनिष्ठ अभियंता की 100 प्रतिशत जिम्मेंदारी बनती है। अतः भानीराम पुत्र श्री बृजलाल वासी मकान 585 न्यु हाउसिंग बोर्ड कालोनी बरनाला रोड सिरसा तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग डबवाली हाल सेवानिवृत, सतपाल कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उपमण्डल नम्बर 1 डबवाली सिरसा हाल तैनात उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उप मण्डल नम्बर 2 कैथल व कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार मकान 115 गली नम्बर 03 ए.डी.सी कालोनी सिरसा के विरूद्व धारा 120बी, 406,409,418,468,471 भा0द0स0 व 13(1)सी0,13(1)डी0 r/w 13(2) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने, कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार से 1,14,139 रूपये की रिकवरी व उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट किए जाने बारे संबंधित कार्यकारी अभियंता को लिखे जाने का सुझाव देकर जांच की अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार द्वारा महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृ0 क्र0 25/32/2019-6VIII दिनांक 14.10.2024 व महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा पत्र क्र0 17757/आई-3/ए0सी0बी0(एच0) दिनाक 22.10.2024 के अनुसार उपरोक्त आरोपियां के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्राप्त हुई। इसलिए भानीराम पुत्र श्री बृजलाल वासी मकान 585 न्यु हाउसिंग बोर्ड कालोनी बरनाला रोड सिरसा तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग डबवाली हाल सेवानिवृत, सतपाल कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उपमण्डल नम्बर 1 डबवाली सिरसा हाल तैनात उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी उप मण्डल नम्बर 2 कैथल व कृष्ण कुमार अग्रवाल ठेकेदार मकान 115 गली नम्बर 03 ए.डी.सी कालोनी सिरसा के विरूद् धारा 120बी, 406,409,418,468,471 भा0द0स0 व 13(1)सी0,13(1)डी0 r/w 13(2) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने उपरांत प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बजरिया डाक/ई0मेल ईलाका मेजिस्ट्रेट सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा व अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों को भिजवाई जावे।

SD विजेन्द्र सिंह 569/H
निरीक्षक(विजेन्द्र सिंह)
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
हिसार मण्डल हिसार।

अज थानाः- उपरोक्त तहरीर लिखित निरीक्षक विजेन्द्र सिंह नं. 569/एच, अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के क्रमांक 18940/आई-1-3/ए.सी.बी. (एच) दिनांक 14.11.2024 वा कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो हिसार के डायरी क्रमांक 3591 दिनांक 18.11.2024 के अनुसार मंजुरी मिलने पर उपरोक्त मुकदमा बजुर्म दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल मय असल लेख बराये तफतीश मय आमदा रिकार्ड जांच क्रमांक 07 दिनांक 29.11.2019 सिरसा कुल 04 फाईलें निजद निरीक्षक सुखजीत भ्र.नि.ब्यूरो युनिट सिरसा के पास भेजी जा रही है । नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा को बजरिया ई-मेल से भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Rank (पद):** I (Inspector)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
SUKHJEET SINGH

No. (सं.): PINSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MAHENDER

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 293/H

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes
3	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)